

!! फायरिंग नदिना, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर !!

क्रमांक- विधिरा/प्रारं/शिक्षा/सी/3701/2004/05 तम्बद्धता प्रिांक- 18/06/2004

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र-2, तानुषायिक विभाग,  
प्रीति विहार, विकास मार्ग,  
नई दिल्ली ।

विषय:- तम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र  
जारी करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महला रेजिडेन्शियल पब्लिक स्कूल  
खाट्टयास जी रोड, रींगल जिला तीकर जो क्षेत्रीय माध्यम से तंबासित हैं  
को सत्र 2004-05 से यदि आपके बोर्ड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की  
तम्बद्धता प्रदान की जाती है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।  
तम्बद्धता प्रदान किये जाने की एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवायी जाये ।

सहदीय

हो  
निदेश,  
प्रारंभिक शिक्षा, राज, 0,  
बीकानेर ।

Principal  
Mahala Residential Public School  
Reengus, Sikar (Raj.) Ph. No. : 01578-225173

- निम्नलिखित को सुपानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
- 1. उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर ।
  - 2. शिक्षा शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, तीकर ।
  - 3. सचिव, महला रेजिडेन्शियल पब्लिक स्कूल खाट्टयास जी रोड, रींगल जिला तीकर ।

PRINCIPAL

Mahala Residential Public School  
Reengus, Sikar (Raj.)-332404

SECRETARY

Mahala Residential Public School  
REENGUS, Sikar (Raj.) 332404

PRINCIPAL

Mahala Residential Public School  
Reengus, Sikar (Raj.) - 332404  
Ph. No. : 01578-293131, 7665002931

SECRETARY

Mahala Residential Public School  
REENGUS, Sikar (Raj.) 332404

15	जी.आर.अलोशल अकादमी, विद्या तल्लीय सीबीएसई	2007-08	अंगी
	मीलीकांता इन्दुमानसुत		
16	मामकाव पब्लिक स्कूल गाँव माणकाव सीबीएसई	2007-08	अंगी
	बाधा मधानिया जोधपुर		
17	सुन्दरान इन्दरनेशनल पब्लिक उमा वि स्कूल सीबीएसई	2007-08	अंगी
	नीमरावा, अलवर		
18	विद्या ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, महावीर नगर सीबीएसई	2007-08	अंगी
	चित्तार घोषणा, सेक्टर-1, कौटा		
19	सेन्ट जेम्स डी गैल स्कूल, रिफाई इंडियन सीबीएसई	2007-08	अंगी
	सहिवा, तालीवा, राजपुर सिटी, तवाई माधोपुर		
20	एम.एस.एन. स्कूल, शिवापुर, मानसरोवर सीबीएसई	2007-08	अंगी
	जयपुर		
21	मोचकाणी शिक्षण मठ्यान, मोचपुर रोड, सीबीएसई	2007-08	अंगी
22	श्री कल्याण मन्डल स्कूल, हाथीप, कानवाड सीबीएसई	2007-08	अंगी
	रोड, जयपुर		
23	मिलन इन्दरनेशनल स्कूल, मानपुरा, कौटा सीबीएसई	2007-08	अंगी

भवदीय,

*Sd/-*  
 डॉ० नतीश कुमार  
 उप निदेशक (माध्यमिक),  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
 बीकानेर ।

- निम्नलिखित विद्यालयों के मुख्याधिकारी एवं प्राचार्य यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1) निजी सचिव, मानवीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
  - 2) विभिन्न महायक, मानवीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
  - 3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
  - 4) निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
  - 5) आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
  - 6) सम्बन्धित विधायक अथवा अहलाय जिडेन्सियल पब्लिक स्कूल,  
 20/टु स्टार जी रोड, हींगय, सीकर

*Liad*  
**SECRETARY**  
 Mahala Residential Public School  
 REENGUS, Sikar (Raj.) 332404

*Principal*  
**PRINCIPAL**  
 Mahala Residential Public School  
 Reengus, Sikar (Raj.) - 332404  
 Ph. No. : 01575-293131, 7665002931

*Principal*  
 डॉ० नतीश कुमार  
 उप निदेशक (माध्यमिक),  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
 बीकानेर ।

*Secretary*  
**SECRETARY**  
 Mahala Residential Public School  
 REENGUS, Sikar (Raj.) 332404

*Principal*  
**PRINCIPAL**  
 Mahala Residential Public School  
 Reengus, Sikar (Raj.)-332404

# नगर पालिका, रींगस

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/RINGUS/FIRENOC/2022-23/16904  
जारी दिनांक: 12-APR-2023

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: VISHAL MAHALA  
आवेदक का पता: B-6, JAMNAPURI, MURLIPURA JAIPUR-302039

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत  
आपके भवन SHRI SHYAM SHIKSHAN SANSTHAN, 1504/1 1504/21 504/3 1505/1 1505/21505/3,  
KHATUSHYAM JI ROAD, REENGUS, REENGUS, SIKAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के  
दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों  
पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलीय गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंभा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाची जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, रींगस

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram  
Designation: DC/FCO Commissioner  
Date: 2023.04.12 11:45:37 IST  
Reason: Approved

